समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | **Monday, 24 August 2026**

जहानाबाद के राजा बाजार अंडरपास के पास अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई, जेसीबी से हटाए ठेले-दुकाने

RANJEET KUMAR

Published on 19 Aug 2026

[illegible] | [illegible], [illegible] | [illegible]

जहानाबाद शहर के **राजा बाजार अंडरपास** के पास बुधवार सुबह नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क किनारे लगाए गए **ठेले, सब्जी की दुकाने और अन्य अस्थायी अतिक्रमण** हटाए। अचानक हुई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।

सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित

बताया गया कि राजा बाजार अंडरपास के समीप बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता और ठेला संचालक सड़क किनारे दुकानें लगा रहे थे। इससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा बाधित हो रहा था और **राहगीरों एवं वाहन चालकों को आवागमन मे परेशानी** का सामना करना पड़ रहा था।

अतिक्रमण बढ़ने के कारण इस मार्ग पर अक्सर **जाम की स्थिति** भी उत्पन्न हो रही थी। स्थानीय स्तर पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर परिषद प्रशासन ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की।

पहले भी दिए जा चुके थे निर्देश

बताया गया कि **जिला पदाधिकारी के निर्देश पर** नगर परिषद प्रशासन की ओर से पहले भी अतिक्रमणकारियों को सड़क से हटने के लिए कहा गया था। ठेला संचालकों और दुकानदारों को सड़क के बजाय **निर्धारित वैकल्पिक स्थानों पर दुकान लगाने** का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, नगर परिषद कर्मचारियों के अनुसार, निर्देश दिए जाने के बावजूद कई दुकानदार दोबारा राजा बाजार अंडरपास के समीप

ही ठेले और दुकानें लगाने लगे थे।

जेसीबी के साथ पहुंची नगर परिषद की टीम

बुधवार सुबह नगर परिषद की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान सड़क पर लगाए गए अस्थायी ठेले और दुकानें हटाई गईं।

नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया कि अंडरपास के समीप सड़क पर अतिक्रमण के कारण **यातायात बाधित होने के साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका** भी बनी रहती थी। इसी को देखते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया गया।

दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने सड़क पर ठेला लगाने वाले कुछ दुकानदारों से **जुर्माना भी वसूला**। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा उसी स्थान पर दुकान या ठेला लगाने की अनुमति नहीं होगी।

नगर परिषद कर्मचारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वे **निर्धारित वैकल्पिक स्थानों** पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें और सड़क या सार्वजनिक आवागमन वाले स्थानों पर अतिक्रमण न करें।

दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए आगे भी निगरानी जारी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित स्थान के बजाय दोबारा सड़क पर ठेला या दुकान लगाता है तो उसके खिलाफ **नियमानुसार सख्त कार्रवाई** की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई से सड़क पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने और राहगीरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जहानाबाद के राजा बाजार अंडरपास के पास नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से सड़क किनारे लगे ठेले, सब्जी की दुकाने और अस्थायी अतिक्रमण हटाए। दुकानदारों को निर्धारित वैकल्पिक स्थानों पर दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी जुर्माना और अन्य सख्त कार्रवाई की जाएगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.